

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार : दिल्ली जल बोर्ड  
कार्यालय प्रथम अपीलीय अधिकारी : (आर0टी0आई) : निदेशक (राजस्व)  
कमरा न0 413 : वरुणालय फेज - II : करोल बाग नई दिल्ली -110005  
इस आदेश के अवलोनार्थ दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट

[www.delhijalboard.nic.in](http://www.delhijalboard.nic.in)

क्रमांक: दि0ज0बो0/प्र0अ0अ0(आर0टी0आई)अपील न0 1461/2015/ 13936 11 दिनांक: 08.12.2015

श्री परमजीत सिंह,  
म0 न0-127,एल ब्लॉक एक्सटेंशन,  
मोहन गार्डन,  
दिल्ली-110059.

संयुक्त निदेशक (राजस्व)प0/उ0प0

### आदेश

इस आदेश द्वारा श्री परमजीत सिंह, के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अधीन प्रस्तुत अपील दिनांक 28-09-2015 का निपटान किया गया।

दिनांक 08.12.2015 को अपील की सुनवाई की गई। नियत समयानुसार अपीलकर्ता श्री परमजीत सिंह, उपस्थित नहीं हुए एवं श्री नरेश चन्द, क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (एन0 डबल्यू0 एस0)-मोहन गार्डन, जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हुए।

प्रस्तुत अपील से पहले दिनांक 20.08.2015 को अपीलकर्ता ने जनसूचना अधिकारी के कार्यालय में एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण यह अपील दिनांक 28.09.2015 को दायर की।

आर0 टी0 आई0 की अपील का अवलोकन करने से जाहिर होता है कि सहायक जनसूचना अधिकारी / जनसूचना अधिकारी ने आर0 टी0 आई0 के प्रार्थनापत्र का उत्तर दे दिया है। सहायक जनसूचना अधिकारी ने बताया कि अपीलकर्ता की शिकायत को दूर करने का प्रयत्न तभी किया जा सकता है जब अपीलकर्ता मीटर रीडर को रीडिंग करवाने के लिए घर पर उपस्थित हों। इस सम्बन्ध में अपीलकर्ता को सुझाव दिया जाता है कि वे सहायक जनसूचना अधिकारी को फोन (8800595226) पर सूचना दें कि वे किस समय घर पर उपलब्ध रहते हैं।

उपरोक्तानुसार अपील का निपटान किया गया।

यदि अपीलकर्ता प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश अथवा प्रथम सूचना अधिकारी के आदेश पारित करने के उपरान्त जनसूचना अधिकारी के द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो अपीलकर्ता द्वितीय सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष निम्नलिखित पते पर अपनी अपील पुनः कर सकता हैं :-

केन्द्रीय सूचना आयोग,  
द्वितीय तल, बी-विंग,  
अगस्त कान्ति भवन,  
भीकाजी कामा प्लेस,  
नई दिल्ली- 110066

ह0/-  
निधि श्रीवास्तव  
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्री परमजीत सिंह, म0 न0-127,एल ब्लॉक एक्सटेंशन, मोहन गार्डन, दिल्ली-110059.
2. संयुक्त निदेशक (राजस्व) प0/उ0प0
3. क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी (एन0 डबल्यू0 एस0)-मोहन गार्डन,
4. अधिशासी अभियन्ता (ई0डी0पी0), को दिल्ली जल बोर्ड की वेबसाईट पर इस आदेश को डालने हेतु।

Nidhi  
प्रथम अपीलीय अधिकारी



11/12/15  
21/12/15  
AS (C) (M)  
Sh. Sanyal